

17/11/21
8/10/21

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किसा गुकदमा 136 एल आर एक्ट

बनाम सरकार

नम्बर 124 सन 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>श.बी.डी.ए.रा.</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/332403 दिनांक <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>श.बी.डी.ए.रा.</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>3.2.2.2</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2078</u> के खाता सं. <u>123</u> में <u>S.B.D. शाखा श.बी.डी.ए.रा.</u> <u>इ.बी.</u> के स्थान पर <u>S.B.D. शाखा श.बी.डी.ए.रा.</u> <u>इ.बी.</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>श.बी.डी.ए.रा.</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>3.2.2.2</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2078</u> के खाता सं. <u>123</u> में <u>S.B.D. शाखा</u> <u>श.बी.डी.ए.रा. इ.बी.</u> के स्थान पर <u>S.B.D. शाखा श.बी.डी.ए.रा.</u> <u>इ.बी.</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	



(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
दीप्य-बादशाही